-प्रेस नोट-

दिनांक: 26.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस, एसओजी एवं स्वॉट की संयुक्त टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से आला कत्ल ईट का अद्धा, मृतक का आधार कार्ड, पैन कार्ड व अभियुक्त विशाल की खून से सनी शर्ट बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 30.04.2026 को वादी मिन्टू पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम कुटेशरा थाना चरथावल जिला मु.नगर द्वारा अपने भाई पिन्टू पुत्र नाथीराम निवासी उपरोक्त के गुम होने के सम्बंध मे थाना देवबंद पर गुमशुदगी दर्ज करायी थी थाना पुलिस द्वारा गुमशुदा को तलाशने के काफी प्रयास किये गये। दिनांक 03.05.2026 को गुमशुदा पिन्टू उपरोक्त का शव ग्राम आखलौर खेडी के नाले में मिला । वादी मिन्टू उपरोक्त की लिखित तहरीर के आधार पर थाना देवबंद पर मु0अ0स0-315/2026 धारा 103(1)/238a बीएनएश बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचना में अभियुक्तगण 01-विशाल पुत्र इसम नि0 ग्राम आखलौर थाना कोतवाली जिला मु0नगर व 02-गगन पुत्र विजय सिंह नि0 ग्राम आखलौर थाना कोतवाली जिला मु0नगर का नाम प्रकाश में आया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा हत्या की घटना का संज्ञान लेकर तत्काल अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में देवबंद पुलिस टीम व स्वाट टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाछिंत चल रहे अभियुक्तगण ***1.विशाल पुत्र इसम निवासी ग्राम आखलौर थाना कोतवाली जिला मु0नगर 2.गगन पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम आखलौर थाना कोतवाली जिला मु0नगर*** *को हाइवे से ग्राम घलौली जाने वाले मोड से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त विशाल ने पूछताछ करने पर बताया कि पिछले वर्ष मैने कोतवाली नगर मु.नगर क्षेत्र में एक लूट की घटना को अन्जाम दिया था । मु.नगर पुलिस द्वारा मुझे मुठभेड के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था । मै कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था तो मै और गगन मेरे मुकदमे की तारीख पर मु.नगर कचहरी गये थे तारीख के बाद मैने व गगन ने शराब व मुर्गा खाया था । फिर हम दोनो मोटरसाईकिल को स्टार्ट करने लगे तो स्टर्ट नही हुई तो हम दोनो मोटरसाईकिल को वही छोड आये थे । घर आने पर मेरे पिता जी ने मोटरसाईकिल के बारे मे पूछा तो जब मैने मोटरसाईकिल स्टार्ट ना होने पर मु.नगर ही छोडने की बात बतायी तो इसी बात पर मेरी पिटाई की और कहने लगे कि साले तू चोर है तुने मोटरसाईकिल कही बेच दी अब तक तो तु बाहर चोरी कर रहा था अब घर में भी चोरी करने लगा । मुझे मेरे घरवाले व मौहल्ले वाले मुझे चोर कहने लगे । तब मैने एक दिन गुस्से मे आकर अपने मन मै सोचा कि ये चोर का ठप्पा मुझे अपने ऊपर से हटाना है आज जो भी आदमी रात में रास्ते में मिलेगे मुझे उसकी हत्या करनी है इस बात के लिये मैने आपने साथी अपने ही गाँव के गगन उपरोक्त को तैयार किया । गगन मेरे साथ हत्या करने को तैयार हो गया । इसके बाद दिनांक 29.04.2026 की रात्रि में मै व गगन अपने गाँव आखनौर खेडी में पास घघौली से आने वाले रास्ते पर मनोज की टयूवेल पर बैठे थे, तभी एक व्यक्ति मोटरसाईकिल से आता दिखायी दिया जिसको हम दोनों रोक लिया और हम दोनो ने उसकी गर्दन दबा कर

मोटरसाईकिल से नीचे गिराकर ईख के खेत में गिरा लिया फिर पास में पडी ईट के अद्धे से उसके सर पर मैने और गगन ने बारी बारी वार किये । जिसकी उस व्यक्ति की मौत हो गयी । मृतक को ईख के खेत मे छोडकर हम दोनो उसकी मोटरसाईकिल लेकर रामपुर तिराहे से आगे मु.नगर बाईपास के पास एक होटल पर छोडकर वापस घटना स्थल पर आये । और हम दोनो ने मृतक की लाश को उठाकर करीब 150-200 मीटर आगे खेतो खेत जाकर मृतक के शरीर पर रस्सी से दो पत्थर बांध कर नाले में डाल दिया ताकि किसी को पता ना चल सके ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता</u>

1. *विशाल पुत्र इसम नि0 ग्राम आखलौर थाना कोतवाली जिला मु0नगर ।*
2. *गगन पुत्र विजय सिंह नि0 ग्राम आखलौर थाना कोतवाली जिला मु0नगर ।*

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- *आला कत्ल ईट का अद्धा*
- *मृतक का आधार कार्ड व पैन कार्ड*
- *खून से सनी अभियुक्त विशाल की शर्ट ।*

<u>अभियुक्त विशाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास</u>

1. *मु0अ0सं0-131/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर मु.नगर ।*
2. *मु0अ0स0-137/2025 धारा 109/317(5) बीएनएस थाना कोतवाली नगर मु.नगर ।*
3. *मु0अ0स0-315/2026 धारा 103(1)/238A बीएनएस थाना कोतवाली देवबन्द सहारनपुर ।*

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>

1. *प्रभारी निरीक्षक कपिल देव थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।*
2. *एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील शर्मा जनपद सहारनपुर ।*
3. *निरीक्षक अपराध सतेन्द्रपाल सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।*
4. *स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री नीरज पवार जनपद सहारनपुर ।*
5. *उ0नि0 अक्षय शर्मा एसओजी टीम जनपद सहारनपुर ।*
6. *उ0नि0 ललित कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।*
7. *है0का0 1313 अनुज कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।*
8. *है0का0 1147 रवि कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।*
9. *है0का0 447 अमरदीप सिंह एसओजी टीम जनपद सहारनपुर ।*
10. *है0का0 81 हरेंद्र एसओजी टीम जनपद सहारनपुर ।*
11. *है0का0 1016 मनदीप एसओजी टीम जनपद सहारनपुर ।*
12. *है0का0 681 वसीम एसओजी टीम जनपद सहारनपुर ।*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 26.05.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.05.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा वारंटी अभियुक्त ***दीपक उर्फ जस्सीपाल पुत्र अमन निवासी शेखपुरा कदीम निकट शिवमंदिर थाना को0 देहात जिला सहारनपुर*** *(सम्बंधित वाद सं0 1025/23 मु0अ0सं0 308/20 धारा 452/376(DA)/भादवि व 5a/6 पोक्सो एक्ट व 67ए आई टी एक्ट निर्गत मा0 न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जू0 डि0) एफ0टी0सी0) को ग्राम शेखपुरा कदीम से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

दीपक उर्फ जस्सीपाल पुत्र अमन निवासी शेखपुरा कदीम निकट शिवमंदिर थाना को0 देहात सहारनपुर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।

2. है0 का0 917 धर्मवीर सिहं थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

3. का0 2300 पीतम सिहं थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 26.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2026 को वादी श्री जोनी कुमार पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम नौरंगपुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरो के विरूद्ध वादी के घेर से के दो सोने के कुण्डल व एक अंगूठी सोने की व एक अंगूठी चांदी की एक परात स्टील एक तीन खाने का टिपिन ओर कुछ लोहा जिसमे नटबोल्ट पाना चाबी एवं पड़ोस से एक पंखा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 80/26 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्र0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.05.2026 को चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **सूरज पुत्र स्व0 कैलाशचन्द नि0ग्रा0 नौरंगपुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर** को ग्राम कुरडीखेडा से ग्राम नौरंगपुर की ओर नदी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया गया 01 स्टील की परात, 01 स्टील का टिफिन व लोहे का कबाड़ (जिसमें लोहे के नट बोल्ट, रिन्च, पाना आदि) व 01 पंखा बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सूरज पुत्र स्व0 कैलाशचन्द नि0ग्रा0 नौरंगपुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- *01 स्टील की परात*
- *01 स्टील का टिफिन*
- *लोहे का कबाड़ (लोहे के नट बोल्ट, रिन्च, पाना आदि)*
- *01 पंखा*

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 341/24 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *प्र0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री संजीव यादव थाना बिहारीगढ सहारनपुर*
4. *है0का0 1225 हरविन्द्र थाना बिहारीगढ सहारनपुर*
5. *का0 1909 रजनीश थाना बिहारीगढ सहारनपुर*

दिनांक: 26.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली बेहट पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.05.2026 को थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान वांछित वारंटी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के दौरान 03 नफर वारंटी अभियुक्तगण ***1.प्रवेज पुत्र जरीन निवासी ग्राम पथरवाना थाना बेहट जिला सहारनपुर*** *(सम्बन्धित मु0अ0स0 240/14 धारा 135/138 विद्युत अधि0 वाद सं0 113/25 मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 04 सहारनपुर)* ***2.छोटा उर्फ वाजिद पुत्र इकबाल उर्फ बालु निवासी ग्राम जसमौर पठानपुरा (****सम्बन्दित मु0अ0स0 203/12 धारा 393/307 भादवि व वाद सं0 2452/22 नियत दिनांक 03.06.26 सम्बन्धित प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष न0 18 सहारनपुर)* ***3.राजेश पुत्र रामकिशन निवासी नि0मौ0 सडकपार कस्बा व थाना बेहट सहारनपुर (****मु0अ0स0 18/99 धारा 51,52a,63,64,68a वाद सं0 1515/26 नियत 26.05.26 मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) एफ0टी0सी (महिला के विरुद्ध अपराध सहारनपुर) को उनके मस्कनों से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

<u>गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्तों का नाम पताः-</u>

1. प्रवेज पुत्र जरीन निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जिला सहारनपुर

2. छोटा उर्फ वाजिद पुत्र इकबाल उर्फ बालु निवासी ग्राम जसमौर पठानपुरा थाना बहट जनपद सहारनपुर

3. राजेश पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम बाबैल थाना बेहट सहारनपुर हाल पता नि0मौ0 सडकपार कस्बा व थाना बेहट सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. *उ0नि0 महेश चन्द थाना बेहट, सहारनपुर*
2. *उ0नि0 अरिवन्द तोमर थाना बेहट, सहारनपुर*
3. *है0का0 928 हरिओम थाना बेहट, सहारनपुर*
4. *रि0आ0 420 सूर्यकान्त दिवाकर थाना बेहट, सहारनपुर*
5. *रि0आ0 468 सुवोध कुमार थाना बेहट, सहारनपुर*

दिनांक: 26.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती आदि घटनाओं की रोकथाम एवं इनमे संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार गश्त व चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्त ***मोहित पुत्र ब्रहमपाल नि० ग्राम आलमपुर कला थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *को ग्राम भोगपुर पुलिया के जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे 01 अवैध चाकू बरामद हुआ । बरामदगी के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 210/26 धारा 4/25 ए एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहित पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम आलमपुर कला थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

2. उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

3.है0का0 1032 ललित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

4. है0का0 456 बबलू कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ।

5. का0 412 धनुज कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर ।

दिनांक: 26.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये आभूषण 01 जोडी ब्रसलैट (सफेद धातु), 01 लोकेट मय चैन (सफेद धातु), 07 बिछवे (सफेद धातु) मय चैन, 01 गले की हसली (सफेद धातु), 01 छल्ला (सफेद धातु), 14 घुँघरू (सफेद धातु), 01 नोज रिंग (पीली धातु) व 20,700/- रुपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2026 को वादी श्री हरि सिंह पुत्र चेतू निवासी ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड जिला सहारनपुर के द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1-सुनील पुत्र रामसिंह 2- नीरज उर्फ लप्पी पुत्र कुद्दू निवासीगण ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड जिला सहारनपुर के द्वारा रात्रि मे वादी के घर मे रखे बक्से का ताला तोडकर वक्से मे रखे सोने चांदी के आभूषण व करीब 50,000/- रुपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु0अ0स0 299/26 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण **1.सुनील पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड जिला सहारनपुर 2.नीरज उर्फ लप्पी पुत्र कुद्दू निवासी ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड जिला सहारनपुर** को नसरूल्लागढ रोड पर निठौडी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त की घटना से सम्बन्धित चोरी के माल में से 01 जोडी ब्रसलैट (सफेद धातु), 01 लोकेट मय चैन (सफेद धातु), 07 बिछवे (सफेद धातु) मय चैन, 01 गले की हसली (सफेद धातु), 01 छल्ला (सफेद धातु), 14 घुँघरू (सफेद धातु), 01 नोज रिंग (पीली धातु) व 20,700/- रुपये नकद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. सुनील पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड जिला सहारनपुर।
2. नीरज उर्फ लप्पी पुत्र कुद्दू निवासी ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- *01 जोडी ब्रसलैट (सफेद धातु)*
- *01 लोकेट मय चैन (सफेद धातु)*
- *07 बिछवे मय चैन (सफेद धातु)*
- *01 गले की हसली (सफेद धातु)*
- *01 छल्ला (सफेद धातु)*

- *14 घुँघरू (सफेद धातु)*
- *01 नोज रिंग (पीली धातु)*
- *20,700/- रुपये नकद*

<u>अभियुक्त सुनील का आपराधिक इतिहासः-</u>

1.मु0अ0सं0 241/25 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना नकुड सहारनपुर ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।

2. उ0नि0 राकेश शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।

3. का0 1059 अनुज राणा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।

4. का0 1997 विनित चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।

5. रि0आ0 1644 भुवनेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।

दिनांकः **26.05.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2026 को वादी जितेन सचदेवा पुत्र श्याम सचदेवा निवासी मानसरोवर शिक्षा निकेतन बेरीबाग थाना जनकपुरी सहारनपुर की तहरीर बाबत अभियुक्त गोविन्द सरदार पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम नाजिरपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर आदि द्वारा वादी जितेन सचदेवा पुत्र श्याम सचदेवा के फेसबुक अकाउन्ट पर भगवान श्रीराम के नाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के सम्बंध में थाना को0 देहात पर मु0अ0सं0 234/26 धारा 299 बीएनएस व 67आईटी एक्ट मे पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.05.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त ***गोविन्द सरदार पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम नाजिरपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर*** *को बेहट अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

गोविन्द सरदार पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम नाजिरपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. निरीक्षक श्री संदीप वालियान थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0 का0 870 रोबिन ढाका थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. है0 का0 1272 इरफान अली थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. है0 का0 1296 अंकुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 26.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा/01खोखा कारतूस बरामद

घटनाओं का विवरणः-

1. **दिनांक 25.05.2026 को** वादी श्री रवि कुमार पुत्र मदन निवासी ग्राम पिलखना थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबात अभियुक्त सचिन उपरोक्त द्वारा वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 226/26 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।
2. **दिनांक 15.05.2026 को** वादी श्री शहनवाज पुत्र गुलजार निवासी ग्राम ढकदेई थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सचिन राणा पुत्र तरसेम निवासी ग्राम ढकदेई थाना नकुड जनपद सहारनपुर के द्वारा वादी के पिता गुलजार व भाई आजम के साथ गाली गलौच करना व वादी के भाई आजम के ऊपर हमला कर जान से मारने की नीयत से फायर करने के सम्बन्ध मे थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 275/26 धारा 352, 109(1), 131, 115(2), 351(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही –

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड श्री देवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 26.05.2026 को अभियुक्त **सचिन राणा पुत्र तरसेम निवासी ग्राम ढकदेई थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को खेडा अफगान रोड पर ग्राम ढकदेई तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त की घटनाओं में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। जिसके आधार पर उपरोक्त दोनों अभियोगों में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढौत्तरी की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सचिन राणा पुत्र तरसेम निवासी ग्राम ढकदेई थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त सचिन राणा का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 167/24 धारा 307/504 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नकुड सहारनपुर,
2. मु0अ0सं0 389/22 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नकुड स0पुर
3. मु0अ0सं0 275/26 धारा 109(1), 115(2), 131, 351(3), 352 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नकुड
4. मु0अ0सं0 226/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नकुड सहारनपुर।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा थाना नकुड़ सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर
3. है0का0 563 अमित थाना नकुड़ सहारनपुर
4. है0का0 999 राजकमल थाना नकुड़ सहारनपुर

दिनांक: 26.05.2026

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश</u>

<u>थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार</u>

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित / वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा आज दिनांक 26/05/26 को वारण्टी अभियुक्त **राशिद पुत्र सब्दर निवासी खानपुर गुर्जर थाना गंगोह स0पुर** (सम्बन्धित वाद संख्या 2103193/10 मु0अ0सं0 221/2000 धारा 457/380/511 भादवि चालानी थाना गंगोह सहारनपुर) को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

<u>गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी का नाम व पताः-</u>

राशिद पुत्र सबदर नि0 ग्राम खानपुर गुर्जर थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>-

1. उ0नि0 श्री दीपक राक्षी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

2. है0कां0 1297 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांकः 26.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा पति पत्नी से नगदी व जेवर की लूटपाट करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटे रूपये में से 2280/- रू0 बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 26.05.2026 को वादी श्री गौरव कुमार पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना गंगोह द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 25.05.2026 की रात्रि समय करीब 21.30 बजे अभियुक्तगण 1.सादिक पुत्र नामालूम 2.नौशाद पुत्र दिलशाद 3.नदीम पुत्र युसुफ निवासीगण ग्राम शाहपुर रोड थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा वादी से 5000/- रूपये व वादी की पत्नी से चाँदी की पाजेब लूट लिये जाने के सम्बन्ध मे थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 268/26 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26/06/2026 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा अभियुक्त **नौशाद पुत्र दिलशाद नि0 ग्राम शाहपुर रोड थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर ग्राम जानपुर उर्फ माजरी से गंगोह वाले जाने वाले रास्ते पर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नौशाद उपरोक्त के कब्जे से लूटे गये रूपयो में से 2280/- रू0 भी बरामद किये गये। बरामदगी व विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियोग उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त नौशाद ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने व मेरे साथी ने मिलकर रात्रि में ग्राम सिकन्द्रपुर के एक व्यक्ति व उसकी पत्नी के साथ लूट पाट की थी लूट में हम तीनो को 5000/- रुपये व महिला की चांदी की पाजेव मिली थी मेरे साथियो ने मुझे 3500 रुपये दिये थे तथा 1500 रुपये व चादी की पाजेव मेरे साथियो ने अपने पास रख लिये थे। आज जो मुझसे आपको रूपये मिले है ये उन्ही रूपयो में से बचे रूपये है।

बरामदगी का विवरण

- *2280/-रूपये लूट की धनराशि*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नौशाद पुत्र दिलशाल नि0 ग्राम शाहपुर रोड थाना गंगोह सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 120/2026 धारा 305(a), 317(2), 331(4) बीएनएस थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *उ0नि0 श्री देवेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
2. *है0कां0 488 चन्द्रपाल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
3. *हे0का0 568 मन्दीप कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*

दिनांक: 26.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.05.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा एक वारंटी/अभियुक्त ***अनुज पुत्र अशोक मित्तल नि0 पेपर मिल रोड हिम्मतनगर थाना सदर बाजार सहारनपुर*** *(संबंधित वाद स0 7867/25 मु0अ0स0 277/24 धारा 406/420 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर) को मस्कन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पताः–

अनुज पुत्र अशोक मित्तल नि0 पेपर मिल रोड हिम्मतनगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी थाना सदर बाजार सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 अंकित कुमार थाना सदर बाजारजनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 1007 संदीप कुमार सदर बाजारजनपद सहारनपुर।*
4. *है0का0 13 इकलाख थाना सदर बाजार सहारनपुर।*

दिनांक: 26.05.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.03.2022 को वादी श्री राजेन्द्र कुमार प्रार्थी राजेन्द्र कुमार पुत्र पलटूसिंह निवासी ग्राम छाप्पुर थाना नकुड जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत 1. अरूण जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन 2.दीपा जैन पत्नी अरूण जैन निवासीगण मकान नंबर 25 डी गिल कालोनी थाना सदर बाजार जनपद 3.सुखविन्द्र सिहं पुत्र सरदार गुरदेव सिंह 4. श्रीमती अमन दीप कौर पत्नी सुखविन्द्र सिहं निवासीगण मौहल्ला शारदा नगर निकट आईटीसी रोड साहब जी नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा वादी के साथ धोखाधडी कर षडयन्त्र रचकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 167/22 धारा 420/406/467/468/471/ 120बी भादवि के पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त चाल से फरार चल रहा था

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.05.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 01 वांछित अभियुक्त ***सुखविंदर पुत्र सरदार गुरदेव सिंह निवासी मौ0 शारदा नगर निकट आईटीसी रोड साहबजी नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर*** *को मसकन डिविजन द्वितीय लुधियाना से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

सुखविंदर पुत्र सरदार गुरदेव सिंह निवासी मौ0 शारदा नगर निकट आईटीसी रोड साहबजी नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी थाना सदर बाजार सहारनपुर ।*
2. *उ0नि0 श्री रचित यादव थाना सदर बाजार सहारनपुर ।*
3. *का0 2079 अमित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर ।*
4. *रि0म0का0 2192 शीतल थाना सदर बाजार सहारनपुर ।*